रूपा को उसका हक मिला

मणिमाला

औरत की जुबान बड़ी ताकतवर होती है। वह मुंह खोले तो बहुत कुछ कर सकती है। यह जानने के लिए हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह कहानी किसी किताब में नहीं लिखी है। हमारे समाज की है।

रूपा। सतरह साल की लड़की है। मजदूर मां-बाप की बेटी। माता-पिता सफाई कामगर हैं। चार बच्चे हैं। कुल मिला कर परिवार में छह जन हैं। माता-पिता ने दो बेटों को पढ़ाई में लगा दिया। दोनों बेटियों को कमाई में।

एक बेटी को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया। उसे नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग दिलवाई। वह वहीं पढ़ाने लगी। एक लड़की को इतना भी नहीं पढ़ाया। उसे नारायणगढ़ भेज दिया। नौकरानी बनने। रूपा जिसके घर नौकरी करती थी उसके सामने एक विधायक का बेटा रहता था। नाम है संजीव। विधायक का नाम है एस. के. धीमन।

संजीव ने रूपा के साथ मेलजोल बढ़ाया। दोनों में दोस्ती हुई। संबंध बने। फिर वह गर्भवती हो गई। इसी साल 22 जनवरी को पता चल गया कि उसे गर्भ है। पता चलने के बाद उसके मालिक (जिसके घर में काम करती थी) ने उसे वापस मोगीनन्द पहुंचा दिया। यहीं उसके माता-पिता रहते थे। कुछ ही दिन बाद उसे एक बच्ची हुई।

यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। समूचा गांव जान गया कि बहादुर सिंह और सुषमा की बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है जबकि

उसकी शादी नहीं हुई है। गांव वालों को चिन्ता हुई। आखिर किसने गांव की इस बेटी के साथ ऐसा अन्याय किया।

कई बड़े-बुजुर्ग रूपा के पास गए। उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन बार-बार पूछने पर संजीव का नाम लिया। यह भी बताया की वह बसपा विधायक एस. के. धीमन का बेटा है।

लड़ाई कठिन थी। एक तरफ सफाई कामगार की नाबालिग बेटी। दूसरी तरफ विधायक का बेटा। फिर गांववालों ने तय किया कि वे लड़ेंगे। बेटी के हक के लिए। गांव की इज्जत के लिए।

उन्होंने पंचायत बुलाई। तय किया कि अगर रूपा चाहेगी तो संजीव से उसकी शादी करवाई जाएगी। रूपा से पूछा गया। उसने कहा कि वह शादी करना चाहती है। गांववाले विधायक धीमन के पास गए। वह नहीं चाहते थे कि गरीब घर की बेटी को बहू बना कर लाएं।

पहले उन्होंने धमकाया। फिर समझाया। कहा,

नाबालिग है। शादी कैसे होगी? नाबालिग की शादी जुर्म है। इस जुर्म के लिए सजा होती है। गांववालों ने पूछा किसी नाबालिग लड़की को गर्भवती बनाना जुर्म नहीं है? रूपा ने भी पूछा कि किसी नाबालिग लड़की को शादी का सपना दिखा कर संबंध बनाना जुर्म नहीं है। रूपा के इन सवालों के सामने विधायक को झुकना पड़ा।

तय हुआ कि संजीव से पूछा जाए। संजीव ने स्वीकार किया कि रूपा का गर्भ उसी से है। उसने कहा कि वह रूपा से ब्याह करना चाहता है। लेकिन उसकी गरीबी से डरता है। रूपा ने फिर सवाल किया। उसने पूछा संबंध बनाते वक्त उसकी गरीबी से डर नहीं लगा था? पत्नी बनाने की बात आई तो डर लगने लगा? इस बीच संजीव के विधायक बाप ने उसे तीन हजार रुपए का लालच भी दिया।

न रूपा मानी और न ही गांववाले। उन्होंने इस लड़ाई को अन्जाम देने की ठान ली थी। वे मुख्य मंत्री के पास गए। जब लगा कि अब वे भाग नहीं सकेंगे तो विधायक महोदय शादी को तैयार हुए। संजीव आधे-अधूरे मन से तो पहले ही तैयार था।

गांव में संजीव आया अपने संबंधियों और मित्रों के साथ। पूरे गांव के सामने शादी हुई और रूपा तेरह दिन के बच्चे को गोद में लेकर ससुराल गई। उसे उसका हक मिला। वह कहती है, पता नहीं आगे क्या होगा। पर गांववाले कहते हैं आगे भी यही होगा। वे निकाल नहीं सकते उसे घर से। तुम्हारा हक है। बेटी को विदा करते हुए पूरे गांव ने कहा, "बेटी, चुप रह कर तकलीफ मत झेलना। इंसाफ के लिए बोलना पड़ता है। मुंह खोलना पड़ता है.....।"

यह तो अच्छा हुआ कि रूपा की शादी संजीव से हो गई। उसके ससुराल वाले इज्जत के साथ ले गए। लेकिन यह काफी नहीं है। **हमें अपनी किशोरवय बेटियों को बताना होगा कि वह किसी के भुलावे में न आ जाएं। जो उसकी गरीबी से डरता है उसे प्यार करने का कोई हक नहीं। वह जो कुछ करे पूरी तरह सोच समझ कर करे।** □